

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 08/2024 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये मनीष कुमार शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा

बनाम

1. प्रकाश सूरिया पुत्र डालचन्द सूरिया मैसर्स अरिहंत इवेन्ट्स, प्रतापनगर स्कूल के सामने, भीलवाड़ा

— प्रार्थी

—विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 54

उपस्थित—

- 1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार
- 2 विपक्षी स्वयं उपस्थित।



आदेश

दिनांक 12.03.2024

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.07.2011 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ने विपक्षी के विरुद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि विपक्षी प्रकाश सूरिया पुत्र डालचन्द सूरिया मैसर्स अरिहंत इवेन्ट्स, प्रतापनगर स्कूल के सामने, भीलवाड़ा पर निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को बादाम कतली (बादाम व शक्कर से निर्मित) व अन्य सामान आदि का विक्रय कर रहा था। प्रकाश सूरिया पुत्र डालचन्द सूरिया मैसर्स अरिहंत इवेन्ट्स, प्रतापनगर स्कूल के सामने, भीलवाड़ा का निरीक्षण करने पर पाया गया कि विक्रेता फर्म पर लगभग 4-5 किलोग्राम बादाम कतली (बादाम व शक्कर से निर्मित) विक्रय हेतु रखा पाया गया। मिलावट का शक होने पर एफएसएसए 2006 एक्ट के तहत उल्लेखित प्रावधानों के तहत नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना कारोबारकर्ता को फॉर्म 5 ए में दी व रसीद प्राप्त की। नियमानुसार का नमूना लेकर वास्ते

24
न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 26.02.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 07.03.2024 को कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में विभागीय पैरोकार उपस्थित। विपक्षी स्वयं उपस्थित है।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना बादाम कतली (बादाम व शक्कर से निर्मित) अवमानक होना पाया गया है। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने में बादाम कतली (बादाम व शक्कर से निर्मित) में Test for added starch-Positive पाया गया, जबकि खाद्य सुरक्षा मानकों के अंतर्गत यह Negative होना चाहिये था। इसी प्रकार बादाम कतली (बादाम व शक्कर से निर्मित) में Food Containing Extraneous Matter under section 3(1)(i) of food safety and standard Act 2006 due to presence of starch. पाया गया, जबकि खाद्य सुरक्षा मानकों के अंतर्गत यह नहीं होना चाहिये था। इसलिए लिये गया खाद्य नमूना अवमानक होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा अवमानक बादाम कतली (बादाम व शक्कर से निर्मित) का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 54 में निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरुद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा द्वारा नमूना लिये जाने वाली फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया, किन्तु नमूना लिये जाने वाली फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है।

विपक्षी ने अपनी बहस में बताया कि उसने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है। कोई मिलावट नहीं करते हैं। मानव जीवन के लिये हानिकारक नहीं हैं। निवेदन है कि प्रकरण में माफी प्रदान करें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिपोर्ट सं. एल.एस./1775/एक्ट/2023/1812 दिनांक 22.11.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, बादाम कतली (बादाम व शक्कर से निर्मित) निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण अवमानक होना पाया गया। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने में बादाम कतली (बादाम व शक्कर से निर्मित) में Test for added starch- Positive पाया गया, जबकि खाद्य सुरक्षा मानकों के अंतर्गत यह Negative होना चाहिये था। इसी प्रकार बादाम कतली (बादाम व शक्कर से निर्मित) में Food Containing Extraneous Matter under section 3(1)(i) of food safety and standard Act 2006 due to presence of starch. पाया गया, जबकि खाद्य सुरक्षा मानकों के अंतर्गत यह नहीं होना चाहिये था। इसलिए लिये गया खाद्य नमूना अवमानक होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा अवमानक बादाम कतली (बादाम व शक्कर से निर्मित) विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा



22
न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 54 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी बादाम कतली (बादाम व शक्कर से निर्मित) का विक्रय करने के लिये दोषी है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा अवमानक बादाम कतली (बादाम व शक्कर से निर्मित) का विक्रय किया है जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन हैं एवं जिसका जुर्माना धारा 54 में वर्णित है। इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 54 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलरूप विपक्षी पर उक्त अधिनियम की धारा 54 के अन्तर्गत 20,000/रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी उपरोक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक के 90 दिवस के अन्दर जरिये चालान जमा करा, चालान प्रति पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

२५
न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा (2006)
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाडा (राज.)

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि विपक्षी से निर्णयानुसार शास्ति राशि जमा कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।
- 2 प्रकाश सूरिया पुत्र डालचन्द सूरिया मैसर्स अरिहंत इवेन्ट्स, प्रतापनगर स्कूल के सामने, भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे।



२५
न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा (2006)
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाडा (राज.)